

In the Court of circle officer at Seegha

certified copy of final order sheet of M.C NO-1154/13-14
 order dated- 15.02.14, applicant Name. Smt Nutan Sinha

date of application	date of filing	date of ready	date of delivery
24.02.14	25.02.14	26.02.14	26.02.14

CR No-181
 15-2-14

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक/आवेदिका श्री मती नूतन सिन्हा
 पिता/पति श्री सुमन कुमारी सिन्हा
 साकिन भावानंदपुर थाना किरपुर
 जिला बेगूसराय द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक/आवेदिका
 मौजा नीलकण्ठपुर 3मं नूरपुर थाना सं० 415
 जमाबन्दी संख्या 307 अंश रकबा 1750 वर्गमीटर (एक हजार सात सौ पचास वर्गमीटर)
 का नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल की है। दाखिल आवेदन के आधार पर सम्बन्धित हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से स्थानीय वो राजस्व अभिलेखों का जांच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् सोलह आना रैयत को आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा दाखिल कागजात के अनुसार आवेदक/आवेदिका द्वारा नामान्तरण हेतु प्रस्तावित जमीन निबन्धित केवाला संख्या 2572 दिनांक 09.12.13 द्वारा प्राप्त कर शान्तिपूर्ण दाखलकार हैं। विषयगत जमीन बसोड़ी मत्व की है तथा भू-दान, लीज एवं भू-हदबन्दी से मुक्त है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक विषयगत जमीन का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका के नाम से स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की है एवं अंचल अमीन ने भी नामान्तरण की अनुशंसा की है।

अतः हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक की अनुशंसा, निबन्धित केवाला, शान्तिपूर्ण दाखल कच्चा एवं अनापत्ति के आधार पर मौजा नीलकण्ठपुर 3मं नूरपुर थाना सं० 415, जमाबन्दी सं० 307 अंश, थाना सं० T.P.P. 188/17 का अंश रकबा 1750 वर्गमीटर (एक हजार सात सौ पचास वर्गमीटर) को नामान्तरण आवेदक/आवेदिका श्री मती नूतन सिन्हा पिता/पति श्री सुमन कुमारी सिन्हा साकिन भावानंदपुर थाना किरपुर जिला बेगूसराय के नाम से रजिस्ट्रार दी जाती है। अनुशंसित लगान 10200 रु० अलावे सेस वसूलनीय होगा। आवेदक/आवेदिका से 500 रुपये ना० शुल्क प्राप्त करें। कार्यवाह सहायक शुद्धि पत्र निर्गत करें तथा अनुपालन हेतु हल्का कर्मचारी को हस्तगत करावें।

टीकेट करिया एवं शुद्ध किया।

ATTESTED
 Notary/Recd No. 1131345 दि० 24.2.14
 Govt. of Jharkhand
 Dist. Deponary (M.C.A.)

सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि
 26.2.14
 प्रधान सलाहक
 अंचल कार्यालय, देवघर
 1872 के अधिनियम 1 को धारा
 76 के अन्तर्गत अधिकृत।

नकल किया
 26.02.14

मिलान किया

26/2/14

मजिस्ट्रेट दि० 1131345 दि० 24.2.14
 नाम सं० 5 दि० च० प० 1154/14
 26/2/14
 26/2/14
 Nutan Sinha